

12/2/26

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता को बयान पेश करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रार्थीया व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अधिवक्ता उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को न्यायालय समय में बार बार आवाजे लगवायी परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अतः पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नं० से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

1 दि 18 कि...
1 दि 18 कि...
1 दि 18 कि...
1 दि 18 कि...

[Faint handwritten notes and signatures in Hindi, mostly illegible due to fading and bleed-through.]